Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding inclusion of 'Bhojpuri' in Eighth Schedule to the Constitution.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष जी, भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सारी भाषाओं का उल्लेख है और आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यताओं का दर्जा मिला हुआ है ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में सदन में बहुत से नए इतिहास बने हैं । वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में मान्यता मिली, वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को मान्यता मिली, वर्ष 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को मान्यता मिली । भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी भाषाएं ऐसी हैं जो राज्य विधान सभाओं से अनुमोदित हो चुकी हैं और इनकी पहचान अब केवल देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको मान्यता मिल चुकी है । मारीशस ने भी वर्ष 2011 में भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया । नेपाल में कैबिनेट मंत्री हेमराज टाटेर ने राजस्थानी भाषा में शपथ ली । नेपाल की संविधान सभा में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल चुकी है । मारीशस, गुयाना, फिजी, सूरीनाम में मान्यता मिल चुकी है । अब माननीय रक्षा मंत्री जी हैं, पिछली तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के सामने हम और मेघवाल जी थे । यह मामला लगातार चौथी लोक सभा से चल रहा है । इस संबंध में कम से कम अभी तक 18 बार निजी विधेयक आ चुके हैं, स्पेशल मेंशन, कॉलिंग अटैंशन लगातार आ रहे हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । कम से कम 16 देशों में 20 करोड़ लोग बोल रहे हैं, गृह मंत्रालय कहता है कि आखिर हम किस तरह से मान्यता दें क्योंकि और भी बहुत भाषाओं के लिए मान्यता की मांग हो रही है । सदन इस बात को तय कर ले कि जिन भाषाओं को राज्य की विधान सभाओं ने

आठवीं अनुसूची में शामिल करने की संस्तुति की हो, उन राज्य विधान सभाओं की संस्तुति को मान जाए और उन भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिला है । ऐसी तमाम भाषाएं जो लंबित हैं, उनमें केवल तीन भाषाएं भोजपुरी, राजस्थानी और भोटी हैं । इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर ने मान्यता दे दी है, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का निर्देश हो जाए । यहां माननीय रक्षा मंत्री प्रकाश जी बैठे हैं, इन तीनों भाषाओं को मान्यता दी जाए । इसमें पैसे का कोई खर्च नहीं होना है । इससे पहले एक करोड़ से कम आबादी में बोले जाने वाली भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है । हम इसका स्वागत करते हैं, ऐसी भाषाएं जो भारत की नहीं हैं, नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल कर चुके हैं ।

माननीय अध्यक्ष: श्री हरीश द्विवेदी, डॉ. संजय जायसवाल और श्री चुन्नी लाल साहू को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, जगदम्बिका जी ने अभी भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में बताया । यह भी ठीक है कि कुछ साल पहले नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया । ईस्टर्न जोन में भोजपुरी भाषा की अलग तरह की मेजोरिटी है । इस विषय पर सरकार को जल्दी से जल्दी बिल लाकर भोजपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में मान्यता देनी चाहिए । हम इसके लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं ।